संख्या-3/2018/आडिट-2-335/दस-2018-355(5)/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : : दिनांकः 21 जून, 2018

विषय :- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्वायत्तशाषी चिकित्सा संस्थाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

द कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल (ड्यूटीज पावर्स एण्ड कण्डीशन्स आफ सर्विस) एक्ट-1971 (यथा संशोधित) की धारा-14 तथा भारत के कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल द्वारा बनाये गये लेखा एवं लेखा परीक्षा विनियम-2007 के प्राविधानों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निम्नलिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के स्थान पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ,
(2) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ,
(3) सुपर स्पेशलिटीबाल चिकित्सालय एवं पी0जी0 शैक्षणिक संस्थान, नोयडा,
(4) राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा,
(5) रिम्स सैफई इटावा
(6) डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट, लखनऊ

2- उक्त के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित संस्थाओं की लेखा परीक्षा अब निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नहीं की जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संस्थाओं की नियमावली में लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्राविधानों में आप द्वारा यथावश्यक संशोधन कराया जाये तथा सम्बन्धित संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया जाये कि उनके द्वारा अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से सम्पादित की जाये।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2018/आडिट-2-335(1)/दस-2018-355(5)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) महा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in